न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 421/एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 19.11.2012 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर– प्रकरण क्रमांक 390/2009–10 बी–12 अपील

ब्रजेश कुमार तिवारी पुत्र रामशंकर तिवारी
ग्राम बरेला तहसील व जिला जबलपुर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर ----अनावेदक

(आवेदक अभिभाषक श्री एम0एम0मुदगल)
(अनावेदक के अभिभाषक कोई नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 7 – 10 – 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 390/2009–10 बी–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम जुनवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 213, 267, 374 कुल किता 3 कुल रकबा 12.46 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) मंदिर श्री रामजानकी सर्वराहकार वृजेश कुमार बल्द रामशंकर तिवारी निवासी बरेला प्रबन्धक जिलाध्यक्ष जबलपुर कागजात में

दर्ज है । महिला रूक्का वाई ने आवेदक के पिता स्व. रामशंकर तिवारी से बरेला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 855/1 में मंदिर की श्री रामजानकी का निर्माण कराया था तथा अपने स्वामित्व की गाम जुनवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 213, 267, 374 कुल किता 3 कुल रकबा 12.46 हैक्टर मंदिर की पूजा हेतु लगाई थी। मंदिर से लगी इस भूमि पर प्रबंधक जिलाध्यक्ष जबलपुर की गलत प्रविष्टि हुई है जिसे विलोपित किया जाय। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 119/2007-08 बी 121 पंजीबद्ध किया एंव जांच व सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12.5.2010 पारित करके आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर के यहां अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 390/2009-10 बी-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.11.2012 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वर्गीय पिता रामशंकर की बुआ श्रीमती रूक्कावाई पत्नि स्व. कालका प्रसाद की थी जिन्होंने अपने जीवनकाल मे भूमि सर्वे क्रमांक 855/1 में मंदिर श्री रामजानकी का निर्माण कराया था तथा अपने स्वामित्व की गाम जुनवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 213, 267, 374 कुल किता 3 कुल रकबा 12.46 हैक्टर मंदिर की पूजा एंव व्यवस्था हेतु लगाई थी। स्वर्गीय पिता रामशंकर ने मंदिर प्रबंध हेतु 40 वर्ष पूर्व सन 1953-54 में ट्रस्ट बनवाया था जिसका गठन आदेश दिनांक

25.11.54 से हुआ है। रामशंकर उसके पिता होकर ट्रस्ट के एकमात्र ट्रस्टी थे जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक ट्रस्टी बना है इसलिये मंदिर पेटे की निजी भूमि पर खसरे से प्रबंधक जिलाध्यक्ष जबलपुर का नाम हटाया जावे, परन्तु कलेक्टर जबलपुर एंव अपर आयुक्त, जबलपुर ने वास्तविकता को अनदेखा कर आदेश पारित किये हैं जो निरस्त किये जाकर खसरे से प्रबंधक जिलाध्यक्ष जबलपुर का नाम हटाया जावे ।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया है कि वादग्रस्त मंदिर एंव भूमि के संबंध में पंच फैसला दि. 31.8.53 को हुआ है जिसमें पुनउ गोड़ एंव रामचंद तिवारी की रजीमंदी होना बताई है। तद्नुसार मंदिर के सर्वराहकार रामशंकर तिवारी तथा 5 पंच भैयालाल, रामस्वरूप, कन्हैयालाल, बेनीराम तथा पुनउ गौड़ बने। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट व्दारा ट्रस्ट पंजीयन का आदेश दिनांक 25.11.1954 पारित किया गया है, जिसके अनुसार ट्रस्टीयों की सूची में केवल पुनउ गौड़ का नाम दर्ज है अर्थात ट्रस्ट के पंजीयन के समय केवल पुनउ गौड अकेले मैनेजिंग ट्रस्टी थे । आवेदक के पिता रामशंकर तिवारी मैनेजिंग ट्रस्टी नहीं थे, ऐसी स्थिति में आवेदक का यह कहना गलत सावित होता है कि रामशंकर मैनेजिंग ट्रस्टी की मृत्यु उपरांत वह ट्रस्टी बना है। यह भी विचार योग्य है कि वर्तमान में तथा आवेदक व्दारा आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 12.3.2007 को कोई भी ट्रस्टी जीवित नहीं है ओर जब कोई ट्रस्टी जीवित नहीं है और तब तक ट्रस्ट का पुर्नगठन नहीं होता है, किसी स्वतंत्र व्यक्ति को स्वयं् को ट्रस्टी बताकर मंदिर एंव मंदिर की भूमि पर विवाद खड़ा करने का अधिकार नहीं है। कोई भी मंदिर अथवा

संपत्ति , जिसका प्रबंधक अथवा भूमिस्वामी न हो, संपत्ति सार्वजनिक होने से उसका प्रबंध प्रशासन अर्थात जिला कलेक्टर के दायित्वाधीन होगा । परिणाम-स्वरूप वादग्रस्त भूमि पर प्रबंधक जिलाधीश जबलपुर अंकित होने वावत् हुई प्रविष्टि हटाये जाने योग्य नहीं है क्योंकि मंदिर एंव मंदिर की सेवा-पूजा एंव व्यवस्था हेतु लगाई गई भूमि सार्वजनिक हितों की है, जिस पर आवेदक व्दारा किया गया दावा व्यर्थ होना है और इन्हीं कारणों से कलेक्टर जबलपुर ने आवेदक का दावा निरस्त किया है तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर ने आवेदक की अपील निरस्त की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 390/2009-10 बी-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.11.2012 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर